यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर, खंड-5 देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर, खंड-5 देहरादून के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री चंद्रमोहन सिंह रावत (तदर्थ) एवं श्री अरविंद कुमार उपाध्याय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 11.08.2020 से 22.08.2020 तक श्री शशिकान्त पांडे, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1 परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आनंद पाण्डेय, लेखापरीक्षक, श्री डी. के. श्रीवास्तव एवं सिराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 22.02.2020 से 02.03.2020 तक श्री के. एल. भट्ट, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी। जिसमे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी एवं व्यय हेतु माह ----- से ---- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक तथा व्यय हेतु माह --- से --- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः -**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	**अर्जित राजस्व (Rs. लाख मे)**
2017-18	1005.87
2018-19	1979.11
2019-20	1875.77

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(Rs. लाख में)

वर्ष	**Plan**		**Non plan**		**अधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
शून्य						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष Rs.	प्राप्त Rs.	व्यय अधिक्य (+)Rs.	बचत (-)Rs.
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई 'A' श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, वित्त **>** आयुक्त राज्य कर**>** अपर आयुक्त राज्य कर**>** संयुक्त आयुक्त राज्य कर**>** उपायुक्त राज्य कर **>**सहायक आयुक्त राज्य कर**>** राज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर, खंड-5 देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर, खंड-5 देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: ------ विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: ------- (व्यय) को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) **योजना का चयन :-** कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व का लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)
शून्य

भाग-II (ब)

प्रस्तर-1 : कर एवं अर्थदंड का अनारोपण Rs. 5.78 लाख।

प्रस्तर - 2 : कर का अनारोपण ₹ 3.99 लाख ।

प्रस्तर- 3 : देय कर विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड एवं ब्याज का अनारोपण ₹ 3.47 लाख।

प्रस्तर- 4 : बोगसएवं GENUINE क्रय-संव्यवहार पर आई टी सी के अनियमित दावे को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप राजस्व क्षति ₹ 0.26 लाख।

प्रस्तर - 5 : कर एवं ब्याज का अनारोपण ₹ 0.19 लाख।

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)
शून्य

भाग-II (ब)
शून्य

भाग दो (ब)

प्रस्तर-1 : कर एवं अर्थदंड का अनारोपण Rs. 5.78 लाख।

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 10 (b) सपठित धारा 10-A में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी होते हुए किसी वर्ग का माल क्रय करते समय यह मिथ्या (falsely) जाहिर करेगा कि माल का ऐसा वर्ग उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के अंतर्गत है तो वह प्राधिकारी जिसने इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र, यथास्थिति, उसे अनुदत्त किया था या उसे अनुदत्त करने के लिए सक्षम हो, सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात लिखित आदेश द्वारा शास्ति के रूप में उतनी राशि उस पर अधिरोपित कर सकेगा, जितनी उस कर के डेढ़ गुने से अधिक न हो, जो उस माल के उसको किए गए विक्रय के बाबत धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन उस दशा में उद्ग्रीहित किया जाता, यदि विक्रय उस उपधारा के अंतर्गत आने वाला विक्रय होता।

कार्यालय सहायक आयुक्त राज्य कर खंड -5 देहरादून के अभिलेखों की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया की सर्वश्री श्री मनीष मिनरल्स , देहरादून (वर्ष 2016-17, टिन 05001082836) द्वारा संगत वर्ष मे ₹ 1023764.00 (2% की दर से lime stone and lime dust), 2956556.12 (1.5% की दर से calcite powder, lime stone, poultry girts, lime dust), 265520.00 (प्रपत्र एफ के विरूद्ध lime and lime stone), कुल ₹ 4245840.12 की आयातित खरीद की गयी। कुल विक्रय ₹ 8236565.00 (7987215.00 प्रपत्र सी के विरूद्ध 2% की दर से+249350.00 5% की दर से) घोषित की गयी। उक्त आयातित खरीद मे ₹ 1908272.00 (₹ 661895 before 04October 2016 + ₹ 1246377 after 04October 2016) कि खरीद calcite powder कि है जो कि माइनर मिनरल है। पुनः ₹ 694672.00 (₹ 318510 before 04 October 2016 + ₹ 376162 after 04 October 2016) कि आयातित खरीद poultrygirts कि है। (Girts=in architecture or structural engineering, a girt also known as sheeting rail, is a framed wall. Girts provide lateral support to the wall panel, primarily, to resist wind loads.)। इसके अतिरिक्त कुल 28 प्रपत्र सी मे से 05 प्रपत्र सी (फार्म सी nos-21C-17031025002 Rs 485520.00, 21C-17031026485 Rs 701107.00, 21C-17037814507 Rs. 113128.00, 21C-17037817178 Rs. 954241.00, 21C-18002662223 Rs. 1149362.00 all these 05 forms were issued by PASUPATI AGROVET PRIVATE LIMITED CUTTAKII Circle) के विरूद्ध calcite पाउडर code 53050090 ₹ 3403358.00 की विक्री 2% के दर से घोषित है। यद्दपि घोषित code के अनुसार उक्त विक्रीत माल calcite पावडर नहीं है। (Code 53050090: harmonise system codes of chapter other vegetable textile fibres;

paper yarn and woven fabrics of paper yarn. : other vegetable textile fibres paper yarn and woven fabrics of paper yarn)। पुनः फार्म सी 21C-18002662223 दो तिमाही Q3 एवं Q4 हेतु निर्गत है (इन्वाइस 104/24.12.2016 ₹ 74256, 106/26.12.2016 ₹ 68850.00, 107/26.12.2016 ₹ 68850.00;Q3 से संबन्धित)। व्यापारी की गोपनीय पत्रावली से स्पष्ट है की वह calcite powder,poultygirts एवं code 53050090 मे उल्लिखित वस्तुओं हेतु पंजीकृत नहीं है। अतः आयातित खरीद (फार्म सी के विरूद्ध रियायती दर पर) ₹ 2602944.00 (₹ 980405.00 before 04 October 2016 + ₹ 1622539.00 after 04 October 2016) पर **नियमानुसार अर्थदण्ड ₹ 551434 (198532+352902) आरोपणीय है** (क्योकि calcite powder एक minor mineral है अतः इस पर कर की दर unclassified आइटम की आरोपित होगी)। नियमानुसार फार्म सी केवल एक त्रैमास हेतु निर्गत होता है अतः इन्वाइस 104/24.12.2016 ₹ 74256, 106/26.12.2016 ₹ 68850.00,107/26.12.2016 ₹ 68850.00; की कुल विक्री ₹ 211956.00 पर ₹ **26494.50 (अंतरीय दर 12.5%) का कर आरोपणीय है।**

अतः उक्त प्रभाव में कुल ₹ 5.78 लाख (अर्थदण्डः ₹ 5.52 लाख एवं कर ₹ 0.26 लाख) का अनारोपण हुआ। विभाग ने उत्तर दिया की जांच कर कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत कार्य जाएगा।

अतः प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग 2 'ब'</u>

प्रस्तर - 2 : कर का अनारोपण ₹ 3.99 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार किसी व्यौहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधो के अंतर्गत कर आरोपित किया जाएगा। पुनः, उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) (ख) (i) (ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर कर देयता दिनांक 28.05.2012 से 13.5% एवं दिनांक 04.10.2016 से 14.5% की दर से निर्धारित की गई है।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), खंड - 5, राज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की 04/2019 से 03/2020 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि उपरोक्त व्यापारी **सर्वश्री जी0 एम0 मार्केटिंग (TIN-05011754388)** के कर निर्धारण वर्ष 2016-17 के संबंध में पारित कर निर्धारण आदेश में प्रारम्भिक रहतिया ₹ 6245240/-, कुल खरीद ₹ 14588994.75 (जिसमे ₹ 1,43,74,325/- का आयातित माल शामिल है), **बिक्री ₹ 1,65,31,335/-** एवं अंतिम रहतिया ₹ 39,65,450/- दर्शाया गया है एवं उक्त बिक्री पर 13.5 % /14.5 % की दर से ₹ 2,31,704.14 का कर आरोपित किया गया है। पुनः, व्यापारी के वार्षिक विवरणी के अनुसार आयातित खरीद ₹ 1,68,05,259.84 की एवं इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गए 127 आयात पत्रों (फॉर्म 16) के प्रयोग के विवरण के अनुसार आयातित खरीद ₹ 1,73,26,222/- की है। व्यापारी द्वारा ` 21,04,604/- का डिस्काउंट/रिबेट प्राप्त करना एवं ` 15,29,952.05 का सकल लाभ (gross profit) घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त व्यापारी द्वारा आयातित खरीद के संबंध में ` 16,18,567/- की परचेज रिटर्न घोषित की गई है एवं क्रेडिट नोट प्राप्त होना दर्शाया गया है परंतु परचेज रिटर्न के संबंध में उपरोक्त राशि के क्रेडिट नोट्स पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त विवरण दृष्टिगत व्यापारी की कुल आयातित खरीद ` 1,57,07,655 (17326222 - 16,18,567) की थी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कुल आयातित खरीद 1,43,74,325/- एवं कुल बिक्री ` 1,65,31,335/- को स्वीकार करते हुए कर निर्धारण किया गया है जबकि परचेज़ रिटर्न के संबंध में क्रेडिट नोट्स प्रस्तुत न करने के कारण व्यापारी की कुल आयातित

खरीद ` 1,73,26,222/- की एवं बिक्री ` 1,94,83,232/- की होनी चाहिये थी (**विवरण संलग्न**)। इस प्रकार संलग्न विवरण के अनुसार कम दर्शाई बिक्री ` 29,51,897/- (1,94,83,232 - 1,65,31,335) पर 13.5% की दर से न्यूनतम ` 3,98,506/- का कर कर आरोपणीय है एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि पत्रावली की जांच कर कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

अतः कर के अनारोपण से ` 3,98,506/- की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

अनारोपित कर का विवरण: सर्वश्री जी एम मार्केटिंग			
(टिन: 05011754388) कर निर्धारण वर्ष: 2016-17			
1	आरंभिक रहतिया		6245240
2	प्रांतीय खरीद	(52691+161978)	214669
3	कुल आयातित खरीद (फॉर्म 16 के अनुसार)		17326222
4	माल भाड़ा (FREIGHT INWARD)		237203
5	सकल लाभ (Gross Profit)		1529952
6	योग (1+2+3+4+5)		25553286
7	अंतिम रहतिया		3965450
8	डिस्काउंट/रिबेट		2104604
9	अपेक्षित बिक्री (6-7-8)		19483232
10	बिक्री जिस पर कर आरोपित किया गया		16531335
11	कम दर्शाई गई बिक्री (9-10)		2951897
12	कम दर्शाई गई बिक्री पर 13.5% की दर से आरोपणीय न्यूनतम कर		398506

<u>भाग 2 'ब'</u>

प्रस्तर- 3 : देय कर विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड एवं ब्याज का अनारोपण ₹ 3.47 लाख।

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर नियमावली 2005 के नियम-11 में दिनांक 26.03.2014 से यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यापारी जिसका पूर्ववर्ती वर्ष में सकल आवर्त ` 50 लाख से अधिक है, उसे अगले माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान करना है एवं जिसका सकल आवर्त ` 50 लाख तक है, उसे अगले त्रैमास के प्रथम माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान करना है। दिनांक 26.03.2014 से पूर्व, उपरोक्त वर्णित व्यापारियों के लिए देय कर के भुगतान की तिथि अगले माह/त्रैमास की 25 तारीख थी। पुनः, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 34(4) के अनुसार, 'स्वीकृत रूप से देय कर विहित समय के भीतर जमा किया जाएगा। ऐसा करने में विफल होने पर अदत्त धनराशि पर विहित अंतिम तारीख के ठीक अगली तारीख से ऐसी धनराशि के भुगतान की तारीख तक 15 प्रतिशत की दर से ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा।

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत यदि किसी व्यौहारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधो के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर राजकोष में जमा नहीं किया है तो वह अर्थदण्ड के रूप में

(i) **(दिनांक 31.03.2015 से पूर्व)** देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि कर 10 हज़ार रूपए तक हो और देय कर का 50% यदि कर 10 हजार रूपए से अधिक हो, का दायी होगा

(ii) **(दिनांक 31.03.2015 से)** यदि विलंब 01 माह तक हो तो देय कर का 5%, यदि विलंब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर **₹** 20 हज़ार रूपए तक हो तो वह देय कर का कम से कम 10% एवं अधिक से अधिक 20% और यदि विलंब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर रूपए 20 हज़ार रूपए से अधिक हो तो वह देय कर का कम से कम 20% एवं अधिक से अधिक 30% का दायी होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), खंड - 5, राज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की 04/2019 से 03/2020 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि विभिन्न व्यापारियों द्वारा विभिन्न माहों में देय कर की कुल राशि ` **30,18,693/-** को विलंब से जमा किया गया था। अत: विलम्ब से जमा कर की राशि पर उपरोक्त वर्णित अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार न्यूनतम ` **3,47,411/-** का अर्थदण्ड आरोपणीय था जिसे आरोपित नहीं किया गया। (**विवरण संलग्न)**। कर जमा करने में हुई देरी हेतु ब्याज भी 15**%** की दर से देय है उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि पत्रावली की जांच कर कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

अतः देय कर विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड के अनारोपण से ₹ **3.47** लाख की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

क्रम सं	व्यापारी का नाम (सर्वश्री)	TIN सं	कर निर्धारण वर्ष	माह/त्रैमास	कर जमा करने की देय तिथि	कर जमा करने की तिथि	विलंब अवधि (दिन)	देय कर की राशि	अर्थदण्ड की दर (%)	आरोपणीय अर्थदण्ड की राशि
1	ELEGANCE GARMENTS	05006888868	2016-17	Q1	20-Jul-16	05-Oct-16	77	56658.00	20.00	11331.60
				Q2	20-Oct-16	15-Dec-16	56	98100.00	20.00	19620.00
				Q3	20-Jan-17	13-Feb-17	24	108770.00	5.00	5438.50
				Q4	20-Apr-17	04-May-17	14	108280.00	5.00	5414.00
2	सी0 बी0 मेडिकोज	05012752033	2016-17	Q1	20-Jul-16	07-Dec-16	140	8988.00	20.00	1797.60
				Q2	20-Oct-16	07-Dec-16	48	10987.00	20.00	2197.40
				Q3	20-Jan-17	01-Feb-17	12	13105.00	5.00	655.25
				Q4	20-Apr-17	14-May-17	24	11850.00	5.00	592.50
3	जी एम मार्केटिंग	05011754388	2016-17	Jul-16	20-Aug-16	10-Oct-16	50	163570.00	20.00	32714.00
				Aug-16	20-Sep-16	10-Oct-16	20	201500.00	5.00	10075.00
				Sep-16	20-Oct-16	13-Nov-16	23	165140.00	5.00	8257.00
				Dec-16	20-Jan-17	25-Jan-17	5	129875.00	5.00	6493.75
				Apr-16	20-May-16	04-Jul-16	44	231420.00	20.00	46284.00
				May-16	20-Jun-16	11-Aug-16	51	193960.00	20.00	38792.00
				Jun-16	20-Jul-16	23-Aug-16	33	168850.00	20.00	33770.00
				Oct-16	20-Nov-16	23-Nov-16	3	180220.00	5.00	9011.00
				Jan-17	20-Feb-17	27-Feb-17	7	181700.00	5.00	9085.00
				Feb-17	20-Mar-17	30-Mar-17	10	294850.00	5.00	14742.50
				Mar-17	20-Apr-17	26-Apr-17	6	313560.00	5.00	15678.00
4	समीर ट्रेडर	05008506246	2015-16	Q3	20-Jan-15	08-Apr-15	78	66310.00	20.00	13262.00
				Q2	20-Oct-15	09-Dec-15	49	100000.00	20.00	20000.00
				Q2	20-Oct-15	08-Apr-16	168	111000.00	20.00	22200.00
				Q1	20-Jul-15	09-Dec-15	139	100000.00	20.00	20000.00
							TOTAL	**3018693.00**		**347411.10**

भाग दो ब

प्रस्तर- 4 : आई टी सी के अनियमित दावे को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप राजस्व क्षति ₹ 0.26 लाख।

कार्यालय सहायक आयुक्त -5 राज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की लेखा परीक्षा मे पाया गया की व्यापारी सर्वश्री विपुल ट्रेडर्स, देहरादून (टिन 05001131918) द्वारा वर्ष 2016-17 मे कुल प्रांतीय खरीद ₹ 9480283.61 (@5%), 3309569.88 (@13.5%) एवं 3089448.83 (14.5%) थी। कुल स्वीकृत आई टी सी ₹ 1368776.00 थी। व्यापारी द्वारा प्रस्तुत क्रय सूची के अनुसार ₹ 177823.00 (52200@13.5%+125623@14.5%) के जी आई पाइप एवं फिटिंग्स जो की 5% की कर देता वाली बस्तुए है , पर व्यापारी को 13.5%/14.5% की दर से आई टी सी स्वीकृत की गयी थी। अतः अधिक स्वीकृत आई टी सी ₹ 16371.00 (4437+11934) मय ब्याज वापस किए जाने योग्य है।

लेखा परीक्षा मे इंगित किए जाने पर विभाग ने वेब साइट से डाउन्लोड की गयी क्रय सूची प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया की पत्रावली मे दाखिल सूची संलग्नक -1 त्रुटिपूर्ण है और व्यापारी द्वारा कोई गलत आई टी सी का लाभ नहीं लिया गया है।

विभागीय आख्या स्वीकार्य नहींल है क्योकि की वे सभी संव्यहार (बिन्दु 1,3,5,7,8,11,12,15,17,19 कुल आई टी सी ₹ 16371.00) जो लेखा परीक्षा ज्ञाप मे दर्शाये गए थे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत क्रय सूची (पोर्टल से डाउनलोडेड) मे भी प्रतिविम्बित हैं। इसके अतिरिक्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत क्रय सूची (पोर्टल से डाउनलोडेड) मे ऐसे भी संव्यवहार (विंदु 2,4,6,9,10,13,14,16,18 कुल आई टी सी ₹ 9450.00) भी दृष्टिगोचर हुए जो बोगस थे और उनको स्वीकृत सम्पूर्ण आई टी सी वापस होने योग्य है (संलग्नक-1)। इस प्रकार ₹ 25821.00 की स्वीकृत आई टी सी मय ब्याज वापस होने योग्य है।

अतः प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों मे संज्ञान मे लाया जाता है।

Sl. No	TIN	Selling dealer	Invoice No.	Date of invoice	Sale value before tax	Tax rate	Tax charged	commodity	comments
1	05011059092	M/S universal Iron Stores	21214	10.09.2016	3600	13.5	486	GI Pipe+fittings	
2	05011059092	M/S universal Iron Stores	21214	10.09.2014	15900	5	795	GI Pipe+fittings	May be treated as bogus transaction
3	05011059092	M/S universal Iron Stores	21214	16.09.2014	3600	13.5	486	GI Pipe+fittings	
4	05011059092	M/S universal Iron Stores	21214	16.09.2014	15900	5	795	GI Pipe+fittings	May be treated as bogus transaction
5	05011059092	M/S universal Iron Stores	20965	24.08.2016	45000	13.5	6075	GI Pipe+fittings	
6	05011059092	M/S universal Iron Stores	20965	24.08.2016	55600	5	2780	GI Pipe+fittings	May be treated as bogus transaction
7	05015438642	M/S Krisna Bath Creation	525	13.12.2016	7511	14.5	1089	GI Pipe+fittings	
8	05011059092	M/S universal Iron Stores	21905	17.11.2016	70672	14.5	10247	GI Pipe+fittings	
9	05011059092	M/S universal Iron Stores	21905	17.11.2016	27900	5	1395	GI Pipe+fittings	May be treated as bogus transaction
10	05011059092	M/S universal Iron Stores	22349	14.12.2016	25100	5	1255	GI Pipe+fittings	May be treated as bogus transaction
11	05011059092	M/S universal Iron Stores	22349	14.12.2016	11000	14.5	1595	GI Pipe+fittings	
12	05011059092	M/S universal Iron Stores	23359	21.02.2017	2700	14.5	392	GI Pipe+fittings	
13	05011059092	M/S universal Iron Stores	23359	21.02.2017	8350	5	418	GI Pipe+fittings	May be treated as bogus transaction
14	05011059092	M/S universal Iron Stores	22969	27.01.2017	14000	5	700	GI Pipe+fittings	May be treated as bogus transaction
15	05011059092	M/S universal Iron Stores	22969	27.01.2017	15000	14.5	2175	GI Pipe+fittings	
16	05011059092	M/S universal Iron Stores	23120	09.02.2017	18382	5	919	GI Pipe+fittings	May be treated as bogus transaction
17	05011059092	M/S universal Iron Stores	23120	09.02.2017	12640	14.5	1833	GI Pipe+fittings	
18	05011059092	M/S universal Iron Stores	23234	13.02.2017	7856	5	393	GI Pipe+fittings	May be treated as bogus transaction
19	05011059092	M/S universal Iron Stores	23234	13.02.2017	6100	14.5	885	GI Pipe+fittings	

Note- Only those transactions have been treated as genuine which are reflected both in dealer's assessment file and on AO's portal.

<u>भाग 2 'ब'</u>

प्रस्तर - 5 : कर एवं ब्याज का अनारोपण ₹ 0.19 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3(10)(ख)(i) के अनुसार यदि कोई पंजीकृत व्यौहारी किसी अपंजीकृत व्यौहारी से माल क्रय करता है और माल का उपयोग उत्तराखण्ड राज्य की भीतर या अंतरराज्यिक ब्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत के राज्य क्षेत्र की बाहर निर्यात के दौरान नहीं किया गया है या माल का अन्यथा उपयोग या उपभोग किया गया है तो उक्त पंजीकृत व्यौहारी पर उसी दर से कर आरोपित किया जाएगा जिस पर ऐसे माल की राज्य के अंदर क्रय की तारीख पर इस अधिनियम के अधीन माल के विक्रय पर आरोपित किया गया होता।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), खंड - 5, राज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की 04/2019 से 03/2020 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि उपरोक्त व्यापारी **सर्वश्री एच0 डी0 एफ़0 सी0 बैंक लिमिटेड (TIN-05007461265)** द्वारा कर निर्धारण वर्ष: 2015-16 में प्रांतीय अपंजीकृत व्यापारियों से ` 14,74,112.97 के सोने के आभूषण का क्रय किया गया था एवं ` 11,00,347/- के सोने के आभूषण का स्टॉक ट्रान्सफर किया गया था। अतः, उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार ` 11,00,347/- के उक्त क्रय पर अधिनियम की अनुसूची II (A) (क्रमांक 2) पर अंकित प्रविष्टि के अनुसार 1 प्रतिशत की दर से ` 11,003/- का कर एवं ` 8004/- का ब्याज (माह अगस्त 2020 तक) आरोपित किया जाना चाहिए था जो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं किया गया। उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि पत्रावली की जांच कर कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

अतः कर एवं ब्याज के अनारोपण से ` 19,007/- (11,003 + 8004) की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-III 'ब' प्रस्तर संख्या	नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
CT-06/2007-08	01,02	-	
CT-14/2008-09	-	01,02	
CT-08/2009-10	01	01,02	
CT-17/2010-11	01	01,02,03	
CT-32/2011-12	-	01,04,05	
CT-52/2017-18	-	01,02,03,04	
CT-23/2016-17	-	01,02,03	
CT-152/2019-20	-	01,02,03	01

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर, खंड-5 देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री मोहम्मद इमरान,	सहायक आयुक्त

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV